न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 14/18 **निर्णय दिनांक 13.08.2018**

1. श्रीमती प्रेमादेवी पत्नी हरखाराम जाति जाट निवासी गांव भामटसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 04—10—2017
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासिनयॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 04—10—2017 जिसके द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि वाके ग्राम भामटसर के खेत खसरा नम्बर 575 में 4225 वर्गफूट भूमि को आराजीराज धोषित किया गया है जबकि उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि पर अपीलांट ने टॉवर का निर्माण राज्य सरकार से नियमानुसार निर्धारित राशि जमा करवाने के

उपरान्त व स्वयं तहसीलदार से उनकी सहमति मिलने के पश्चात् करवाया गया था। जबकि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। राज्य पक्ष का यह दावा दावे की श्रेणी में नहीं आता है क्योकि इस दावे में ना तो सत्यपान है तथा दावा दो कॉपी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अदालत मातहत को दावे में तनकियांत कायम कर साक्ष्य लेने चाहिए थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रक्रिया के विरुद्व वाद का निस्तारण किया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अंकित किया गया है कि नोटिस स्वयं अप्रार्थी पर तामील होने के बावाजू अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। जबकि अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नोटिस के अवलोकन मात्र से यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस अपीलांट पर कतई तामील नहीं हुआ है ना ही उक्त नोटिस की पुश्त पर अपीलांटा के हस्ताक्षर अंकित है। अदालत मातहत द्वारा आनन—फानन में मात्र प्रकरण के निस्तारण के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया हैं अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी भूमि में अनाधिकृत रूप से टॉवर लगाये जाने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 175, 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट द्वारा अपनी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य अर्थात टॉवर लगाने का कार्य किया गया है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया है। जो कृषि भूमि को हानि पहुँचाने वाला कार्य है। अपीलांट का उक्त कृत्य आवंटन नियमों के विपरीत है। अधीनस्थ

न्यायालय ने प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष तहसीलदार राजस्व कोलायत ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 व 177 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त वाद में तहसीलदार, कोलायत द्वारा अभिकथन किया गया कि वादगत् भूमि जो कृषि कार्य हेतु प्रतिवादी को आवंटित की गई थी, पर अकृषि कार्य अर्थात अनाधिकृत रूप से टॉवर लगाने का कार्य किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी को आवंटित भूमि को पुनः रकबाराज धोषित किया जावे। अदालत मातहत द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि को आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने अदालत मातहत की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया। संबंधित पटवारी द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिर्पोट में यह अंकन किया गया है कि वह मौके पर पहुँचा तथा मौके पर पहुँचने पर पाया कि पेमादेवी पत्नी हरखाराम द्वारा खेत में 65/65 फुट में टॉवर बना हुआ है। मौका रिपोर्ट पर केवल मात्र पटवारी के हस्ताक्षर है उसके अतिरिक्त मौके पर उसके साथ उपस्थिति अन्य किसी व्यक्ति के ब्यान रिपोर्ट में अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिपोर्ट अधूरी व एकमात्र पटवारी द्वारा ही तैयार किया जाना साबित है।

(3) यहा यह भी प्रश्न उल्लेखनीय है कि **अपीलांट द्वारा संबंधित तहसीलदार के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि पर टॉवर लगाने हेतु नियमानुसार स्वीकृति लिये जाने व निर्धारित राशि खजानाराज में जमा करवाने के उपरान्त ही टॉवर लगाया गया हैं इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा चालान की प्रति भी अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे इस**

तथ्य की जॉच करते कि क्या वास्तव में अपीलांट द्वारा ऐसी कोई स्वीकृति भूमिधारक अर्थात तहसीलदार से प्राप्त की गई है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

(4) उपखण्ड अधिकार, नोखा के समक्ष प्रस्तुत वाद धारा 175 व 177 का था जिसमें प्रतिवादी को सुनवाई व जबाव का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। वाद में साक्ष्य लेकर न्यायिक विवेचना करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था किन्तु इस प्रकरण में वाद प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, केवल मात्र स्टेट के वाद में बिना प्रक्रिया अपनाये, बिना साक्ष्य लिये सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती।

(5) प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत की पत्रावली दिनांक 22—09—2017 तक तलबी के स्तर पर जैरकार थी। दिनांक 22—09—2017 को अपीलांट/प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने पर उक्त नोटिस अपीलांटा पेमादेवी पर तामील नहीं होना पाया जाता है।

उक्त तथ्य अदालत मातहत की पत्रावली पर भी उपलब्ध होने के उपरान्त भी अदालत मातहत द्वारा आदेशिका में यह अंकित किया जाना कि नोटिस स्वयं पर तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। जबकि अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नोटिस के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि उक्त नोटिस अपीलांटा स्वयं पर तामील नहीं हुए है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा वाद की प्रकिया को अपनाये बिना मात्र प्रकरण को निपटाने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का आदेश जैर अपील योग्य आदेश नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 04—10—2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नोखा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपना कर प्रकरण का निस्तारण करे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर